



प्रेस नोट जनपद बागपत दिनांक 20.09.2025

बागपत पुलिस ने 04 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत बागपत पुलिस ने 04 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तों का नाम व पता-

1-सावन पुत्र बलजोर निवासी ग्राम तुगाना थाना छपरौली जनपद बागपत ।

2-सचिन पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम कुर्डी थाना छपरौली जनपद बागपत ।

3-रविन्द्र पुत्र बलधीरा निवासी मलकपुर थाना बडौत जनपद बागपत

4-अमित पुत्र सहीपाल निवासी ग्राम मीतली थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत उम्र करीब 40 वर्ष ।



गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-थाना कोतवाली बागपत पुलिस टीम । (01 वारंटी)

2-थाना छपरौली पुलिस टीम । (02 वारंटी)

3-थाना बडौत पुलिस टीम । (01 वारंटी)



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 20.09.25

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 484/25 धारा 303(2)/123 बीएनएस व मु0अ0सं0 544/25 धारा 303(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से चोरी की हुई 01 ई-रिक्शा व एक बैटरी बरामद ।

संक्षिप्त विवरण:-

1.दिनांक 18.08.25 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी शौकत पुत्र अब्दुल शकूर निवासी ग्राम खुब्बीपुर निवाडा थाना कोतवाली बागपत ने प्रार्थना पत्र दिया कि 02 अज्ञात अभियुक्तों द्वारा वादी के लडके सुहैल को नशीली कोल्डड्रिंक पिलाकर ई-रिक्शा रजि नं0 UP17BT-5576 को चोरी कर लिया है। इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 484/25 धारा 123/303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



2.दिनांक 10.09.25 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी संदीप पुत्र रमेश निवासी ग्राम शिकोहपुर थाना बडौत जनपद बागपत प्रार्थना पत्र ने प्रार्थना पत्र दिया कि अज्ञात अभियुक्तों द्वारा वादी के भाई कुनाल का ई-रिक्शा रजि नं0 UP17BT8090 व उसमें रखा मोबाइल फोन को चोरी कर लिया है। इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 544/25 धारा 303(2) बी0एन0एस0 का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

उपरोक्त अभियोगों में विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य संकलन के आधार पर दिनांक 19.09.25 को अभियुक्तगण 1.आकाश पुत्र मुन्नालाल निवासी निशान्त कालोनी पुस्ता चौकी थाना लोनी जिला गाजियाबाद उम्र 25 वर्ष 2. विजय पुत्र विश्वनाथशाह निवासी निशान्त कालोनी पुस्ता चौकी थाना लोनी जिला गाजियाबाद उम्र 45 वर्ष 3. दिव्यांग वसीर अहमद पुत्र शरीफ निवासी अगवानपुर किला परीक्षितगढ जिला मेरठ उम्र 40 वर्ष का नाम प्रकाश में आये व उक्त अभियोगों में बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बी0एन0एस0 की वृद्धि की गयी।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 484/25 धारा 303(2)/123 बीएनएस व मु0अ0सं0 544/25 धारा 303(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जिनके कब्जे से चोरी की हुई 01 ई-रिक्शा तथा एक बैटरी बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1.आकाश पुत्र मुन्नालाल निवासी निशान्त कालोनी पुस्ता चौकी थाना लोनी जिला गाजियाबाद उम्र 25 वर्ष।
2. विजय पुत्र विश्वनाथशाह निवासी निशान्त कालोनी पुस्ता चौकी थाना लोनी जिला गाजियाबाद उम्र 45 वर्ष।
3. वसीर अहमद पुत्र शरीफ निवासी अगवानपुर किला परीक्षितगढ जिला मेरठ उम्र 40 वर्ष। (दिव्यांग)

बरामदगी का विवरण -

- 01 ई – रिक्शा नं0 UP17BT8090 (सम्बन्धित मु0अ0सं0 544/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत)
- ई-रिक्शा की एक बैटरी (सम्बन्धित मु0अ0सं0 484/25 धारा 303(2)/123 बीएनएस थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत)

गिरफ्तार करने वाली टीम-

- 1-उ0नि0 श्री विकास चौहान थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 2-उ0नि0 श्री नकुल राठी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 3- उ0नि0 श्री सत्यम जंधाला थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 4- है0का0 435 आलोक कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

5-का0 467 टिकू जंधाला थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

6-का0 369 विशाल कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली

दिनांक 20.09.2025

**थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 231/25 धारा
109(1)/115(2)/351(3) बीएनएस में वाँछित 01 अभियुक्त मोहित को किया
गिरफ्तार ।**

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 08.08.2025 को थाना बिनौली पर वादी श्री विककी तोमर पुत्र रामपाल सिंह निवासी ग्राम आरिफपुर खेडी थाना बिनौली जनपद बागपत ने तहरीर दी कि अभियुक्तगण

- 1.सिद्धार्थ उर्फ गोलू पुत्र सुरेन्द्र पाल
- 2.सुरेन्द्रपाल पुत्र बीरवल
- 3.मोहित पुत्र विनोद निवासीगण ग्राम बामनौली थाना दोघट जनपद बागपत द्वारा वादी के



भाई विक्रान्त पुत्र रामपाल सिंह पर जाने से मारने की नियत से हमला करना, मारपीट करना व जान से मारने की धमकी देना । इस सम्बन्ध प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 231/25 धारा 109(1)/115(2)/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 231/25 धारा 109(1)/115(2)/351(3) बीएनएस में वाँछित 01 अभियुक्त मोहित को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

मोहित पुत्र विनोद निवासी ग्राम बामनौली थाना दोघट जनपद बागपत उम्र करीब 25 वर्ष।

गिरफ्तारी का स्थान- बामनौली इण्टर कालेज समय 08.30 बजे

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उ0नि0 श्री विकुल कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 2.का0240 तरुण कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत ।

